



भारतीय ज्ञान परम्परा में वैदिक शिक्षा पद्धति का वैशिष्ट्य

डॉ. अमित भार्गव

शास्त्रविद्यागुरुकुलम्

क.का.सं.वि.रामटेक

शिक्षा मानव जीवन का प्रमुख अङ्ग है। शिक्षा से मनुष्य सभ्य संस्कारों से युक्त होता है। शिक्षा के द्वारा हम सब अपनी सभ्यता – संस्कृति – संस्कार एवं इतिहास आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। समस्त विश्व की शिक्षा पद्धति में वैदिक शिक्षा पद्धति सर्वाधिक प्राचीन है। जब सम्पूर्ण विश्व में शिक्षा प्राप्ति की कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय हमारे भारतीय समाज में वैदिक शिक्षा का प्रचलन था। आचार्य मनु कहते हैं –

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं

शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥¹

इस वैदिक शिक्षा पद्धति में शिष्य गुरु के सानिध्य में गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। उस समय में शिक्षा न केवल सामाजिक होती थी अपितु वह शिक्षा अस्त्र – शस्त्र – संगीत – खगोल – ज्योतिष – राजनीति – कूटनीति आदि से युक्त होती थी।

वैदिक काल में शिक्षा की स्थिति अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान पर थी। उस समय में प्रत्येक गांव में गुरुकुल शिक्षा के माध्यम से समाज को सुसंस्कारित बनाया जाता था। गुरुकुल में आचार्य स्वतन्त्र रूप से गुरुकुल का संचालन करते थे। उस गुरुकुल का सम्पूर्ण दायित्व कुलपति या कुलगुरु का होता था। परन्तु उस समय के राज्य प्रशासन का यह दायित्व होता था कि उस गुरुकुल में अध्ययनरत छात्रों को किसी भी प्रकार की क्षति न हो यह सम्पूर्ण जबाबदारी उस राज्य के राजा की होती थी। उस वैदिक शिक्षा के छः स्तम्भ होते थे।

१. शिक्षक २. छात्र ३. गुरुकुल ४. शिक्षाविषय ५. माता – पिता ६. समाज

१. शिक्षक – प्राचीन ऋषि परम्पराओं में शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु के लिये तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। १. आचार्य २. गुरु ३. उपाध्याय। वह शिक्षक जिसने साङ्गोपाङ्ग वेदों का अध्ययन किया हो उसे आचार्य कहते थे। वह शिक्षक जो सत्य का ग्रहण करें एवं असत्य का त्याग करें उसे गुरु कहते थे। वेदकदेशं वेदाङ्गानि वा पाठयति सः उपाध्यायः।² निरुक्त के कर्ता आचार्य यास्क अपने निरुक्त में आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति – आचार्यः आचारं ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिं वा।³ अथर्ववेद में भी आचार्य शब्द का प्रयोग बहुत स्थानों पर प्राप्त होता है।

आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः ।

जीवमृता आसन्त्सत्वानस्तैरिदं स्वराभूतम् ।⁴

अर्थात् आचार्य के लिये मृत्यु, वरुण, सोम, ओषधि, आदि विषयों के ज्ञान प्रदाता के रूप में बताया गया है।

¹ मनुस्मृति 2/20

² पारस्कर गृहसूत्र २ काण्ड

³ निरुक्तम् – ७ अध्याय

⁴ अथर्ववेदसंहिता ११/०५ / ०१



२. **शिक्षार्थी** - वैदिककाल में शिक्षा का सामान्य नियम ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाता है। ब्रह्मचारी शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है। **ब्रह्मचारी चरति देविषाद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्**।⁵ उपरोक्त मन्त्र में उस प्रकार के ब्रह्मचारी पद का प्रयोग का उल्लेख किया गया है जो विद्याग्रहण के लिये ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ गुरुओं के पास जाकर विद्याध्ययन करें। छान्दोग्य उपनिषद् में दो प्रकार ब्रह्मचारिओं का उल्लेख प्राप्त होता है।

त्रयो धर्मस्य स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति ।

प्रथमस्तप एव द्वितीयो

ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी ॥⁶

एक ब्रह्मचारी वह है जो गुरुकुल में निवास करते

हुए विद्याध्ययन करने के पश्चात् अपने घर को आ जाये। दूसरा वह ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में विद्याध्ययन करके अपना सम्पूर्ण जीवन उसी गुरुकुल में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुये व्यतीत करें। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार – **स एवं विद्वान् यस्या एव भूयिष्ठा श्लाघेत तां भिक्षतेत्याहुस्तल्लोक्यमिति, स यद्यन्यां भिक्षितन्यां न विन्देदपि स्वामेवाचार्यजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं, नैनं सप्तम्यभिक्षितातीयात्**।⁷ उपरोक्त श्रुतिवाक्यों में ब्रह्मचारी के कर्मों का विधान किया गया है कि उसे प्रतिदिन वन में जाकर समिधाओं को एकत्रित करना चाहिये, एवं प्रतिदिन भिक्षा मांगकर उसी से भोजन का निर्माण करना चाहिये। परन्तु जिस व्यक्ति कि समाज में प्रशंसा एवं उत्तम कुल के घर में भिक्षाटन करना चाहिये। अन्यथा उस ब्रह्मचारी को अपनी माता से भिक्षा मांगनी चाहिये। **तैत्तिरीयोपनिषद् के अनुसार – तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारम्**।⁸ उपरोक्त मन्त्र में आचार्य अपने लिये श्रेष्ठ मेधावी शिष्य की प्राप्ति की कामना कर रहा है।

आ मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । वि मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्र मा यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमयन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ।⁹

वैदिक काल में सत्रारम्भ के समय आचार्य उपरोक्त मन्त्र से अग्नि में आहुति प्रदान करके अपने शिष्यों के मेधावान् होने की कामना करते थे।

३. **शिक्षा के स्थान** – वैदिक काल में शिक्षा प्राप्ति के लिये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार गुरुकुल, आश्रम, आचार्य के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुलों में सभी बालकों के उपनयन संस्कार के पश्चात् एक निर्धारित समय अवधि में बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये गुरुकुल नगर या ग्राम से बहुत दूरी पर वन में होते थे जिससे की ब्रह्मचारी एकग्रचित्त से विद्याध्ययन कर सके।

गोपथ ब्राह्मण के अनुसार - **तस्मा एतत्प्रोवाचाष्टाचत्वारिंश्वर्षं सर्ववेदब्रह्मचर्यं, तच्चतुर्धा वेदेषु व्यूह्या द्वादशवर्षं ब्रह्मचर्यं द्वादशवर्षाण्यवराद्धमपि स्तायश्चरेत् यथाशक्त्यपरम्**।¹⁰ उपरोक्त श्रुति वचन के अनुसार गुरुकुल में ब्रह्मचारी को बारह बारह वर्ष में एक एक वेद का अध्ययन करके या अपने गोत्र के अनुसार एक वेद का षडङ्ग सहित वेदाध्ययन करके गुरुकुल की पद्धति के अनुसार समावर्तन स्नान के पश्चात् स्नातक की उपाधि से भूषित करके समाज की उन्नति के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के अनुमति प्रदान की जाती थी।

४. **शिक्षा के विषय** - वैदिक काल में गुरुकुल में विभिन्न विषयों का अध्ययन – अध्यापन किया जाता था। छान्दोग्योपनिषद् में प्रमुख रूप से वेद - ब्राह्मण – आरण्यक – उपनिषद् आदि के साथ १. ऋग्वेद २. यजुर्वेद ३. सामवेद ४. अथर्ववेद ५. इतिहास (History) ६. पुराण (पुरातत्व) Archaeology ७. वेदाङ्ग ८. पितृविद्या (नृवंशविज्ञान) Anthropology ९. राशिविद्या Maths १०. दैवविद्या Meteorology ११. खनिजविद्या (Mineralogy) १२. न्याय एवं तर्क शास्त्र Law & Logic १३. नीतिशास्त्र १४.

⁵ ऋग्वेदसंहिता १०/१०९/०५

⁶ छान्दोग्य उपनिषद् ०२/२३/०१

⁷ शतपथ ब्राह्मण ११/०३/०७

⁸ तैत्तिरीयोपनिषद् १/१

⁹ तैत्तिरीयोपनिषद् १/४/२

¹⁰ गोपथ ब्राह्मण १/२/५



Mythology १५. Spirtial science १६. Zoology १७. शस्त्रविद्या १८. ज्योतिष विद्या १९ . Toxicology २० .¹¹ सङ्गीत आदि शास्त्रों के अध्यापन की जानकारी मिलती है ।

५. पिता

वैदिक काल में शिक्षा देने का कार्य स्वयं पिता करते थे । तैत्तिरीय उपनिषद् के अनुसार भृगुर्वै: वारूणि: पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षु: श्रोत्रं मनो वाचयति।¹² उपनिषद् वाक्य के अनुसार यह ज्ञात होता है । पिता अगर शास्त्रज्ञ है तो वह अपने पुत्र को वेदादि शास्त्रों में परङ्गत कर सकता है ।

६. समाज – वैदिक काल में शिक्षा के सर्वाङ्गीण विकास में समाज का बहुत अधिक योगदान था । उस समय समाज में आचार्य एवं ब्रह्मचारी को बहुत अधिक सम्मान की भावना से देखा जाता था । जैसे कि उदाहरण के रूप में अथर्ववेद के अनुसार

यस्य राज्ञो जनपदे ह्यथर्वा शान्तिपारगः ।
वर्धते निरुपद्रवम् ॥

निवसत्यपि तद्ग्राष्ट्रं
तस्माद्राजा विशेषेण ह्यथर्वाणं जितेन्द्रियम् ।

दानसम्मानसत्कारैर्नित्यं समभिपूजयेत् ॥¹³

उपरोक्त मन्त्र से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में जिस राजा के राज्य में शान्तिपूर्वक अथर्वा (अथर्ववेद एवं अन्य वेदों के अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी) निवास करते हो वह राष्ट्र निश्चित ही वृद्धि को प्राप्त करता है । अतः वैदिक काल में समाज के उत्थान एवं राज्य के विकास हेतु समाज शास्त्र के रक्षण के गुरुकुल शिक्षा का सम्मान एवं प्रचार प्रसार करते थे । उपरोक्त सभी स्तम्भों के द्वारा ज्ञात होता है कि समाज के सर्वाङ्गीण विकास हेतु गुरुकुल शिक्षा अत्यन्त उपयोगी एवं लाभप्रद होती है । जिसके माध्यम से छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास के लिये गुरुकुल पद्धति से अध्ययन अध्यापन करना नितान्त आवश्यक है ।

निष्कर्ष - इन सभी विद्याओं का शिक्षण स्थल गुरुकुल है, जहाँ छात्र अपने गुरु के सान्निध्य में रहते हुए न केवल शिक्षा ग्रहण करता है अपितु गुरु के जीवनचर्या का अनुसरण करते हुए स्वयं को अनुशासित एवं मर्यादित बनाता है । क्योंकि मनुष्य का लक्षण है कि वह केवल पढ़ने की अपेक्षा पढ़ाई के साथ साथ अनुसरण कर जल्दी सीखता है । और यह सुविधा गुरुकुल के अतिरिक्त कहीं भी अन्यत्र नहीं मिलती है । गुरुजन अपने संस्कार, ज्ञान एवं दैनिक चर्या के द्वारा छात्र के जीवन को सविधि संवारते हैं । वस्तुतः गुरु-शिष्य का सम्बन्ध एक पिता पुत्र के तरह होता है पिता के तरह ही गुरु भी अपने शिष्य को अन्तः हृदय में रखता है । अतएव शिष्य को अन्तेवासी भी कहा गया है । अन्तेवासी का अर्थ अन्तः (अन्दर) में निवास करने वाला होता है । गुरु उसे गुरुकुल के शिष्य के रूप में स्वीकार कर उसके आवास, भोजन, एवं वस्त्रादि की समुचित व्यवस्था यह उसके सर्वाङ्गीण विकास हेतु विविध विद्याओं व आचार-व्यवहारों का प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं । जैसा कि स्मृतिकारों ने कहा है-

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहतिपूर्वकम् ।

वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत् ॥¹⁴
वेदमध्यापयेद्विजः ।

उपनीय तु यः शिष्यं

सकल्पं सरहस्यञ्च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥¹⁵

अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः ।

¹¹ छान्दोग्य उपनिषद् ७.१.२

¹² तैत्तिरीय उपनिषद् ३/१/१

¹³ अथर्ववेद १.३२.३

¹⁴ पाराशर स्मृति १३९

¹⁵ पाराशर स्मृति १४०



तमपीह गुरुं विद्याच्छुतोपक्रियया तथा ॥¹⁶

उपनीय ददद्देमाचार्यः स

उदाहृतः ॥¹⁷

गुरुकुल में छात्रों को वेदादि शास्त्राध्ययन के साथ साथ गुरुकुलीय दैनिक - चर्या, सबके साथ प्रेम-व्यवहार, आपसी भाईचारा, सेवा भावना, बड़ों का सम्मान, गुरु की सेवा व उनका आज्ञापालन इत्यादि भी सिखाया जाता है जिससे कि उनके अन्दर तनिक भी अहंकार की भावना उत्पन्न न हो एवं किसी से कभी वैर न करें। ये सब आदर्शों का ज्ञान प्रदान करवाया जाता है।

परन्तु इस आधुनिकता ने हमारे समाज में विद्या या विमुक्तये इस शास्त्रोक्त वाक्य के स्थान में सा विद्या या नियुक्तये का बीज बो दिया है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित हो गई है। किन्तु गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था छात्र को समाज के लिए आदर्श बनाती है, क्योंकि गुरुकुलों में वैदिक वाङ्मय की शिक्षा से अध्ययन प्रारंभ करने की परम्परा है, और वेदों में हमें 'मनुर्भव' ¹⁸ जैसा उत्तम विचार सीखने को मिलता है, इतना ही नहीं वेदों से हम परस्पर प्रेम, सबमें मित्र का भाव, विश्व बन्धुत्व आदि भी सीखते हैं।" गुरुकुल में धनलोलुपता न सिखाकर छात्रों को सामाजिक स्तर पर सर्वतो भावेन आत्म निर्भर बनाने के लिए न केवल शास्त्रों का अध्ययन अपि तु शास्त्रीय विद्याओं के प्रायोगिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण भी निरन्तर दिए जाते हैं। जिससे कि छात्र अपने भावी जीवन में पराश्रित न होकर हर क्षेत्र में कार्य करने हेतु सिद्ध हो सके तथा कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकने में समर्थ हो सके। जिसके माध्यम से छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास कर सके।

सन्दर्भग्रन्थसूची -

१. शुक्लयजुर्वेद
२. ईशावास्योपनिषद्
३. ऋग्वेद
४. पाराशर स्मृति
५. याज्ञवल्क्यस्मृति
६. छान्दोग्य उपनिषद्
७. अथर्ववेद
८. तैत्तिरीय उपनिषद्
९. शतपथ ब्राह्मण
१०. गोपथ ब्राह्मण
११. निरुक्तम्
१२. पारस्कर गृहसूत्र

¹⁶ पाराशर स्मृति १४९

¹⁷ याज्ञवल्क्यस्मृति, आचाराध्याय ३४

¹⁸ ऋग्वेद २.३.२